न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00165

सूरजमल (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
1. द्वारका बाई बेवा स्व0 श्री सूरजमल ।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री सूरजमल ।
3. गिर्राज प्रसाद पुत्र स्व0 श्री सूरजमल ।
4. हरि प्रसाद पुत्र स्व0 श्री सूरजमल ।
5. सुशीला बाई पुत्री स्व0 श्री सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बालीता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

–––अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 644 सेक्टर 7 केशवपुरा शिवशक्ति व्यायामशाला के पास, कोटा ।
2. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवीस बालीता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी बालीता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

–––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से ।
3. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 30.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 01 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी की आराजी ग्राम बालीता में खसरा नम्बर 547 की रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 548 की 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 की 1.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 की 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 555 की 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 556 की 0.29 हैक्टर कुल किता 06 की रकबा 4.20 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वर्ष 1997 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 के पिता श्री रामेश्वर जी की मृत्यु के उपरान्त परिवार व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में उक्त आराजी का बंटवारा सन् 1998 में किया गया था जिसके मुताबिक प्रार्थी सूरजमल के हिस्से व कब्जे में आराजी खसरा नम्बर 550 की 0.80 हैक्टर व खसरा नम्बर 554 की रकबा 0.24 हैक्टर कुल रकबा 1.04 हैक्टर आराजी आई थी । इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम 2 सत्यनारायण के खसरा नम्बर 550की रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 547 की रकबा 0.38 हैक्टर व खसरा नम्बर 554 की रकबा 0.24 हैक्टर कुल 03 किता की रकबा 1.07 हैक्टर हिस्से में आई तथा अप्रार्थी क्रम 1 ओमप्रकाश के खसरा नम्बर 547 की रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 की रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 555 की रकबा 0.09 हैक्अर (बाग) कुल 03 किता की रकबा 1.09 हैक्टर भूमि हिस्से में आई तथा प्रतिवादी संख्या 3 धर्मेन्द्र के हिस्से में खसरा नम्बर 550 की रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 556 की रकबा 0.29 हैक्टर कुल 1.09 हैक्टर भूमि हिस्से में आई तथा इसके अलावा खसरा नम्बर 548 की 0.07 हैक्टर गै0मु0 चाह सभी के संयुक्त खाते में रहना बंटवारे में तय किया गया । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अप्रार्थी क्रम 01 के मन में बदयान्ति आ गई है इसलिए वह बिना विधिवत बंटवारा कराये वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द, विक्रय एंव अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है । प्रार्थी को अधिकार है कि वह अप्रार्थी क्रम 01 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वादग्रस्त आराजी का बिना विभाजन करवाये वह वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी क्रम 1 ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी क्रम 01 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.07.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य को नजर अन्दाज किया है। प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को सिद्ध किया है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 03 में स्पष्ट रूप से प्रार्थी अपीलान्ट ने उल्लेख किया था कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 एवं अपीलान्ट के मध्य उनके पिता रामेश्वर जी की मृत्यु उपरान्त वर्ष 1998 में गॉव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों व समाज एवं परिवार के लोगों की उपस्थिति में आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विभाजन हो गया था । उक्त पारिवारि विभाजन के मुताबिक पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । इस तथ्य को अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड पर आये कथनों को नजरअन्दाज करते हुए उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है । जब तक वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन न हो जावे तब तक संयुक्त खाते की भूमि के किसी भी भाग को कोई भी सहखातेदार विक्रय नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आता है क्योंकि क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य को नजर अन्दाज किया है। अपीलान्ट जो प्लीडिंग लेकर आये हैं उसे आदेश 6 नियम 1 सीपीसी के तहत अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने उक्त तथ्य को स्वीकार किया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन हुए बिना उक्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी क्रम 1 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1991 (1) पेज 605, आरआरटी 2009 (1) पेज 481 उद्धृत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि स्वयं प्रार्थी अपीलान्ट मृतक सूरजमल के पास प्राईम लोकेशन की भूमि है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की

जा सकती । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2071 है जिसके अनुसार ग्राम बालीता की खाता संख्या 241 में खसरा नम्बर 547 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 550 रकबा 1.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.09 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 556 रकबा 0.29 हैक्टर कुल किता 06 की रकबा 4.20 हैक्टर भूमि सूरजमल, सत्यनारायण, ओमप्रकाश, धर्मेन्द्र कुमार पिस0 रामेश्वर के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

11. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है । यदि पक्षकारान के मध्य पूर्व में कोई बंटवारा हुआ है तो यह मूल वाद में तय होगा । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है तथा किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति भी अपीलान्ट को होने की संभावना नहीं है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है । संयुक्त सहखातेदारी की भूमि में एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं पायी जाती है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा